



राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार लखनऊ-226010

Website-www.sudaup.org

पत्रांक 7966/64/ दस/विविध-आसरा/पत्राचार-5

दिनांक ।। दिसम्बर, 2018

कार्यालय झाप

आसरा योजनान्तर्गत मूल्यवृद्धि के प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं औचित्य के परीक्षण हेतु सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन के आदेश संख्या-930/69-1-2016 दिनांक 10.5.2016 के अनुरूप पूर्व में अभिकरण के कार्यालय झाप संख्या-504/64/दस-समिति/2015 दिनांक 18.5.2016 द्वारा समिति गठित की गयी थी जिसमें वित्त नियंत्रक, की अध्यक्षता में महाप्रबन्धक, सी० एण्ड डी०एस० एवं अधिशासी अभियन्ता नामित थे जिसमें समय-समय पर अभिकरण द्वारा अन्य अधिकारियों को भी समिलित किया जाता रहा है। परन्तु निदेशक, सूडा द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति दिनांक 05.12.2018 के क्रम में शासन द्वारा पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुरूप गठित समिति का विवरण निम्न हैः-

- 1-वित्त नियंत्रक, सूडा, उ०प्र०
2-मुख्य महाप्रबन्धक(तृतीय) सी० एण्ड डी०एस० उ०प्र० जल निगम
3-अधिशासी अभियन्ता, सूडा, उ०प्र०

- अध्यक्ष
- सदस्य
- सदस्य

उपरोक्त समिति अभिकरण को प्राप्त होने वाले मूल्यवृद्धि के पुनरीक्षित प्रस्तावों के औचित्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन तथा परियोजनाओं की पूर्णता हेतु समयबद्ध रूप से निस्तारण कर कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण करेगी।

भवदीय,

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1-निदेशक/मुख्य महाप्रबन्धक(तृतीय) सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
2-वित्तनियंत्रक/अधिशासीअभियन्ता/परियोजना अधिकारी(आसरा प्रभारी)एवं संबंधित कर्मियों को अनुपालनार्थ।
3-कार्यक्रम अधिकारी/सहायक अभियन्ता, सूडा, उ०प्र० को सूचनार्थ।
4-श्री योगेश आदित्य, सहायक परियोजना अधिकारी/वेब मास्टर, सूडा, उ०प्र० को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक